

आज दिनांक 23.04.2025 को पीएम श्री रा.व. मा .विद्यालय भुना (2191) के परिसर में प्रातः कालीन प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी देते हुए लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम आयु में शादी करना बाल विवाह की संज्ञा में आता है और यह एक सामाजिक कुरीति होने के साथ - 2 कानूनी अपराध भी है, के बारे में स्वयं बच्चों एवं समाज को जागरूक करने का संदेश दिया गया । इसी विषय पर उन्हें विद्यालय में होने जा रही पोस्टर/चित्र कला प्रतियोगिता में शामिल होने के भी निर्देश दिए गए। इस विषय पर,स्टाफ सदस्यों ने भी बच्चों से बाल विवाह जैसी कुरीति से बचने हेतु आगाह किया।

GOVT. SR. SEC. SC

HI, BHUNA (KAITHAL) AFFI. NO. 520261,









